सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय
AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
देवनहल्ली, बेंगलूर /DEVANAHALLI BENGALURU– 560300.

लोक सूचना सं/ PUBLIC NOTICE NO.46/2020- दिनांक /DATED:25.08.2020

दस्तावेज पहचान सं /DIN: 20200872MP0005S9587

विषय : सीजीएसटी अधिनियम 2017,आईजीएसटी अधिनियम 2017, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 , केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, वित्तीय अधिनियम 1994 के खंड V के अधीन व्यक्ति सुनवाई को परोक्ष रूप आयोजित करने के लिए संशोधित मार्गदर्शन ।

Subject: - Revised guidelines for conduct of personal hearings in virtual mode under CGST Act, 2017, IGST Act, 2017, Customs Act, 1962, Central Excise Act, 1944 and Chapter V of Finance Act, 1994 - Reg.

सभी कोरियर कंपनियां, संरक्षकों, आयात कर्ताओं , निर्यातकर्ताओं और अन्य फणधारियों का ध्यान व्यक्तिगत सुनवाई को परोक्ष रूप में इस आयुक्तालय द्वारा जारी की गई दिनांक 05.2020 की लोक सूचना सं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Attention of the Courier Companies, Custodians, Importers, Exporters and all other Stakeholders is invited to the Public Notice No. , dated. .05.2020, issued by this Commissionerate, informing holding virtual personal hearing.

2. उपर्युक्त लोक सूचना के अनुसरण में, और कोविड 19 महामारी के द्वारा सामने आपत्ति को ध्यान में रखते हुए , बोर्ड ने दिनांक 27.4.2020 को सभी न्याय निर्णयन अधिकारियों , अपील अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 , केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, वित्तीय अधिनियम 1994 के खंड V के अधीन व्यक्ति सुनवाई को परोक्ष रूप आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं ।

In continuation of the above, Public Notice and in keeping in view the challenges presented because of Covid-19 pandemic, the Board had issued Instruction dated 27.04.2020 for conduct of personal hearings in virtual mode

by all adjudicators and appellate authorities in regard to proceedings under the Customs Act, 1962, Central Excise Act, 1944 and Chapter V of Finance Act, 1994.

2. बोर्ड ने उक्त अनुदेश के परिणाम को समीक्षा किया है । जैसे देखा जाता है, व्यापार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया यह सूचित करता है कि यह पहलू, इस आपत्तिजनक परिस्थिति में अधिनिर्णयन आदेशों को पारित करने और अपील कार्यवाहियों को त्वरित करने, यात्रा के लागत एवं समय के बचत, गंभीर रूप से सामूहिक दूरी के रखरखाव को सुनिश्चित करता है फ यह पहलू सभी फणधारियों जैसे जी.एस.टी के अधीन आनेवाले आपूर्तिकर्त, आयातकर्ता,निर्यातकर्ता, यात्रियों, वकीलों , कर व्यवसायिक और प्राधिकृत प्रतिनिधियों आदि को सुविधा प्रदान करेगी ।

Board has reviewed the outcome of the subject instruction. As seen, the feedback received from trade and field formations indicates that this initiative has helped in speeding up the passing of adjudication and appellate proceedings, saving cost of travel and time, and critically ensuring social distancing in these challenging times. This initiative would facilitate all stake holders such as suppliers under GST, importers, exporters, passengers, advocates, tax practitioners and authorized representatives.

3. तदनुसार बोर्ड ने, यह निर्णय लिया है कि, विभिन्न प्राधिकारियों जैसे आयुक्त अपील, मूल न्याय निर्णयन प्राधिकारियों एवं प्राधिकारियों को , सीमा शुल्क अधिनियम 1962 , केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 एवं वित्तीय अधिनियम ,1994 के खंड V के अधीन किये गए किसी भी कार्यवाही के संबंध में आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई को सिर्फ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए ही करना अनिवार्य है । यह सुविधा सी.जी.एस.टी अधिनियम 2017 एवं आई.जी.एस.टी अधिनियम 2017 के लिए भी बढाई जाएगी ।

Accordingly, Board has now decided to make it mandatory for various authorities, such as Commissioner (Appeals), original adjudicating authorities and Compounding Authority to conduct personal hearing, in respect of any proceeding under the Customs Act 1962, Central Excise Act, 1944 and Chapter V of Finance Act, 1994 through video conferencing facility. This facility shall also be extended to proceedings under the CGST Act, 2017 and the IGST Act, 2017.

4. ऐसे परोक्ष सुनवाई को आयोजित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है ताकि, अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों द्वारा न्याय पद्रान करने के लिए , जारी अपील एवं न्यायनिर्णयन कार्रवाइयाँ त्वरित रूप से समाप्त किया जाए । यह मार्गदर्शन , भारत के संविधान के आर्टिकल सं 142 के अनुसरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं प्रेरित रिट याचिका (सिविल) सं 5/2020 में दिये गए निदेश के अनुसार है । व्यक्तिग सुनवाई को परोक्ष रूप में वीडियो कांफेंसिंग के जरिए आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन निम्न प्रकार है ।

Broad guidelines to conduct such virtual hearing are being provided so that ongoing work of appeals and adjudications are completed expeditiously for quick delivery of justice through quasi- judicial proceedings. These guidelines are in compliance of the directions given by Hon'ble Supreme Court under Article 142 of the Constitution of India in Suo Moto Writ (Civil) No. 5/2020. The guidelines for the conduct of virtual mode of personal hearing through video conferencing facility are as under:

(i) अपीलेट या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के सामने आनेवाले कोई भी कार्यवाही के संबंध में प्राधिकारी अनिवार्य रूप से अंकित कर सकते है कि व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कांफ्रंसिंग के जरिए की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए आगे के पत्राचार आदि के लिए ई मेल पता भी अंकित कर सकते हैं ।

In any proceedings before appellate or adjudicating authority, the authority shall mandatorily indicate that the personal hearing would take place through video conferencing facility. For this purpose he/she shall also indicate the email address for correspondence etc.

(ii) सुनवाई का दिनांक एवं समय वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिंक एवं प्रभार्य अधिकारी जो परोक्ष सुनवाई के आयोजन में सहायता प्रदान करेंगे उनके विवरण सहित अपेलेंट/प्रतिवादी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं राजस्व को प्रतिनिधित्व करनेवाले आयुक्त को कार्यालयीन मेल द्वारा सूचित किया जा सकता है । अपील/न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के अनुमति के बिना इस लिंक को किसी और के साथ शेर नहीं किया जाना चाहिए ।

The date and time of hearing along with link for the video conference shall be informed to the appellant/ respondent or their authorized representative and the concerned Commissioner representing revenue through the official email, giving the details of officer-in-charge who would provide assistance to the party, for conducting the virtual hearing. This link should not be shared with any other person without the approval of the adjudicating/appellate authority.

(iii) निर्धारिती या प्राधिकृत प्रतिनिधि जो परोक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित होते हैं वे कार्यालयीन ई मेल पता पर अपने पहचान पत्र की प्रति के साथ अपने वकालतनामा या प्राधिकरण पत्र संपर्क करने के लिए वांछित विवरण सहित स्केन करके संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित करना है ।

The assessee or authorized representative appearing in virtual hearing, should file his *vakalatnomo* or authorization letter along with a copy of his photo ID card and contact details to the adjudicating/appellate authority through official e-mail address of the concerned authority after scanning the same.

(iv) सभी व्यक्तियों जो वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लेते हैं , उचित ढंग से कपडे पहनकर ऐसे अवसर के लिए अपेक्षित शिष्टाचार को रख रखाव करना चाहिए ।

All persons participating in the video conference should be appropriately dressed and maintain the decorum required for such an occasion.

(v) वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित परोक्ष सुनवाई को नयाय निर्णयन प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी के कार्यालय या प्रतिस्थापित किसी भी कार्यलयीन वीडियो सुविधा के तहत आयोजित किया जा सकता है ।

Virtual hearing through video conference shall be held from the office of adjudicating/appellate authority or any official video conference facility set up in the office of the adjudicating/appellate authority.

(vi) वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित परोक्ष सुनवाई को उपलब्ध अप्लिकेशन वी.आई.डी.वाई.ओ के जरिये या अन्य सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आयोजित किया जा सकता है। निर्धारिती को ऐसे एपलिकेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम/लैपटाप/ मोबाईल फोन में पहले से ही परोक्ष सुनवाई के समय त्वरित संयोजकता के लिए कनेक्ट करके रखना चाहिए ताकि उनको दिये गए समय पर वीडियो कांफ्रेंस में भा ले सकते हैं ।

The virtual hearing through video conference will be conducted through available applications like VIDYO, or other secured computer network. The assessee should download such application in their computer system/laptop/mobile phone beforehand for ready connectivity during virtual hearing, and join the video conference at the time allotted to them.

(vii) यदि अपेलेंट/प्रतिवादी परोक्ष सुनवाई में अपने वकील के साथ भाग लेना चाहिते हैं तो वे न्यायनिर्णयन /अपेलेट प्राधिकारी को उचित रूप में सूचित करते हुए भाग लेना चाहिए । वे परोक्ष सुनवाई में अपने वकील /प्रारधिकृत प्रतिनिधि के साथ भाग ले सकते हैं या अपने कार्यलय से बैठक में शामिल हो सकते हैं ।

In case where the appellant/ respondent wishes to participate in the virtual hearing proceeding along with their advocate, they should do so under proper intimation to the adjudicating/ appellate authority. They may participate in virtual hearing along with their advocate/ authorized representative or join the proceedings from their own office.

(viii) अपेलेंट या उनके प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई प्रस्तुति को लिख जाएगा एवं उसीका बयान तैयार किया जाएगा, जिसको, व्यक्तिगत सुनवाई की रिकार्ड के रूप में माना जाएगा । ऐसे रिकार्ड की साफ्ट कापी को पी.डी.एफ फार्मेट में अपेलेंट को , अपेलेाट/प्रतिवादी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उनके द्वारा दिये गए ई मेल पता में ऐसी सुनवाई के एक दिन के अंदर प्रेषित किया जाएगा ।

The submissions made by the appellant or their representative through the video conference will be reduced in writing and a statement of the same will be prepared, which shall be known as "record of personal hearing". A soft copy of such record of personal hearing in PDF format will be sent to the appellant through email ID provided by appellant/ respondent/ authorized representative, within one day of such hearing.

(ix) यदि निर्धारिती या उनके प्रतिनिधि , ई मेल में प्रेषित रिकार्ड किये गए व्यक्तिगत सुनवाई को बदलना चाहते हैं तो , वे उसको बदल सकते हैं, बशर्ते है कि बदले गए रिकार्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद स्कैन करके हस्ताक्षरित किये गए व्यक्तिगत सुनवाई को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी /अपेलेट प्राधिकारी को ऐसे ई मेल की प्राप्ति के तीन दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं अन्यता यह माना जाएगा कि वे रिकार्ड की गई व्यक्तिगत सुनवाई को स्वीकृत किये हैं । अपेलेंट/प्राधिकृत प्रतिनिधि से रिकार्ड की गई व्यक्तिगत सुनवाई के संबंध में कोई संशोधन , उसकी प्राप्ति की तीन के बाद नहीं माना जाएगा। अपेलेट/न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा जिस दिनांक को ई मेल प्राप्त किया जाता है उसको नहीं गिनाया जाएगा ।

if the assessee or their representative wants to modify the contents of e-mailed record of personal hearing, they can do so and sign the modified record, scan and send back the signed record of personal hearing to the adjudicating/appellate authority within 3 days of receipt of such e-mail or else it will be presumed that they agree with the contents of e-mailed record of personal hearing. No modification in e-mailed record of personal hearing will be entertained after 3 days of its receipt by appellant/their authorized representative. The date of receipt of the email by the appellate/adjudicating authority will not be counted for this purpose.

(x) इस तरह प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई की रिकार्ड को सूचना प्रौद्योगिकी , अधिनियम 2000 , की धारा 4 साथ पठित संगत संविधि के अनुसार एक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा ।

The record of personal hearing submitted in this manner shall be deemed to be a document for the purpose of the relevant statute read with Section 4 of the Information Technology Act, 2000.

(xi) यदि निर्धारिती या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि परोक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अतिरिक्त प्रस्तुति सहित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, वे उस दस्तावेज को स्वत: पूर्ण रूप से अनुप्रमाणित करके उसकी स्कैन प्रति को न्यायनिर्णयन/अपेलेट प्राधिकारी को परोक्ष सुनवाई के तुरंत बाद तीन दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं । व्यक्तिगत सुनवाई के दिनांक को इसके लिए छोड़ दिया जाएगा ।

If the assessee or their authorized representative prefers to submit any document including additional submissions during the virtual hearing, he may do so by self-attesting such document and a scanned copy of the same may be emailed to the adjudicating/appellate authority immediately after virtual hearing and in no case after 3 days of virtual hearing. The date of the hearing will be excluded for this purpose.

(xii) कोई भी अधिकारी जो विभाग को प्रतिनिधित्व करते हैं वे भी परोक्ष सुनवाई में वीडियो कानफ्रेंसिंग में भाग ले सकते हैं ।संबंधित आयुक्तालय, उपर्युक्त(ii)में अंकित किये गए अनुसार सूचना प्राप्त करते ही ऐसी सहभागिता विवरण को अग्रिम रूप से सूचित कर सकते हैं ।

Any official representing the Department's side can also participate in the virtual hearing through video conferencing. The Commissionerate concerned shall inform the details in advance regarding such participation, on receipt of intimation as mentioned at point (ii) above.

5. व्यक्तिगत सुनवाई के आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग, के जरिये करना अनिवार्य होने पर, निर्धारितियों के पक्ष में कोई भी अनूठा स्पष्ठ परिस्थितियों में निर्धारितियों या उनके प्रतिनिधि के लिए यह संभव न हो सकता है । ऐसे प्रत्येक अनुरोध को न्याय निर्णयन प्राधिकारी/अपीलेट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है और उसके कारण को लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहिए । दिनांक 27.4.2020 के अनुदेश इस अनुदेश द्वारा दिनांक 27.4.2020 को जारी किये गए अनुदेश को अतिष्ठित किया जाता है ।

While the conduct of personal hearing through video conferencing is being made mandatory, there may yet be rare and accentuating circumstances on the part of the assessee or his authorized representative on account of which this cannot be done. Each such request shall be approved by the adjudicating/appellate authority and the reasons for the same recorded in writing. The Instruction dated 27.04.2020 is hereby superseded by this Instruction.

6. इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों पर ली जानेवाली कार्रवाई अधिकारियों के लिए स्थायी आदेश के रूप में विचार किया जाना चाहिए ।
Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

7. उपर्युक्त सभी संबंधित को सूचित किया जाता है । इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो उसको अपर आयुक्त , सीमा शुल्क, एयर पोर्ट एवं एसीसी, आयुक्तालय, देवनहल्ली, बेंगलूरु, ई मेल पता cusaccblr.tech@gov.in. में सूचित कर सकते हैं ।

The above is brought to the notice of all the concerned. Difficulties, if any, may be brought to the notice of The Additional Commissioner of Customs, Air Port and Air Cargo Complex Commissionerate, Devanahalli, Bengaluru, E-mail-:cusaccblr.tech@gov.in.

अशोक

(अशोक/**ASHOK**)

प्रधान आयुक्त/ **PRINCIPAL COMMISSIONER**

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH
के तहत जारी की जा रही है/ Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH
.प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गॉधीनगर, बेंगलूरु

Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru

3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा /All Airlines through Association.
5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
6) सभी संरक्षकों/All Custodians.
7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचनापट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियर संगठ्न द्वारा/ through Courier Association)

(10 मास्टरफाईल /Master file.